शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्याः– 988 / नौ–7–23–32(ज) / 2022

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

(1)निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उ.प्र.।
(2)समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
(3)समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
(4)समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनॉक 20 जून, 2023

विषयः आगामी श्रावण मास में आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा, सावन मेला एवं अन्य त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश के नगरीय निकायों में साफ–सफाई, प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रावण मास में कावड़ यात्रा, सावन मेला एवं अन्य त्योहारों का आयोजन किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त आगामी दिनों में ईदुज्जुहा (बकरीद) इत्यादि पर्व भी मनाये जायेगे। अतः प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ ही नगरीय निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, मार्ग प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त के दृष्टिगत निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था, शुद्ध पेय जल की उपलब्धता, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान के विषयगत पूर्व में निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के साथ ही आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

(क). साफ–सफाई की व्यवस्था–

(1) निकाय में नियमित रूप से प्रातः 05:00 बजे से 08:00 बजे तक साफ–सफाई सुनिश्चित की जाये।
(2) निकाय की सड़कों, गलियों इत्यादि की सफाई हेतु माइक्रो प्लान (Micro Plan) बनाकर प्रत्येक मोहल्लों / वार्डों की सड़कों / गलियों की सफाई हेतु सफाई कर्मियों की बीट बनाते हुये सफाई सुनिश्चित की जाये। जिसकी मॉनीटरिंग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन करें।
(3) प्रदेश के नगरीय निकायों में स्थित शिवालयों एवं कावड़ यात्रा मार्ग पर श्रावण मास के समय विशेष रूप से सफाई कर्मिकों की तैनाती करते हुये प्रतिदिन साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
(4) सफाई के समय एकत्र किये गये कूड़े को उसी समय सेनेट्री लैण्ड फिल साईट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाये। किसी भी दशा में एकत्र किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोड़ा जायेगा।

(5) जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करते हुये सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर नियमित रूप से दिन में एण्टीलार्वा स्प्रे का छिड़काव किया जाय तथा शाम के समय फॉगिंग करायी जाये। उक्त के अतिरिक्त नगरीय निकायों में स्थित कावड़ियों के शिविर क्षेत्र में प्रतिदिन दिन में एन्टी लार्वा का छिड़काव किया जाय तथा सांय के समय फॉगिंग की जाये।

(6) सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर निकायों में तथा कावड़ यात्रा मार्ग क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर, मैलाथियान डस्ट, चूना इत्यादि का नियमित छिड़काव भी सुनिश्चित कराया जाये।

(7) शहर में सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर (S.P.M.) एवं धूल को कम करने हेतु आवश्यकतानुसार सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाये।

(8) कावड़ यात्रा के दृष्टिगत मार्गों/शिविरों के स्थलों पर यथावश्यक पुरूषों एवं महिलाओं के लिये अलग–अलग जनसुविधाओं यथा मोबाईल/अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था की जाये तथा उक्त शौचालयों में दिन में न्यूनतम दो बार अवश्य साफ–सफाई एवं सेनेटाईजेशन की व्यंवस्था सुनिश्चित की जाये।

(9) कावड़ मार्ग क्षेत्र में उगे झाडियों/अवांछित पौधों की कटाई–छटाई एवं सफाई सुनिश्चित की जाये।

(ख) <u>ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः–</u>

(1) जनसामान्य को घरों में कूड़े के पृथक्करण हेतु जागरूक किया जाये तथा निकाय में शत–प्रतिशत घरों से कूड़ा का कलेक्शन दैनिक रूप से किया जाये। इस संबंध में दिनांक 01.07.2023 तक सभी नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उनके निकाय में शत प्रतिशत डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है।

(2) डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन के लिये प्रयोग की जानी वाली गाड़ियों में सूखे एवं गीले कूड़े हेतु अलग–अलग कम्पार्टमेन्ट की व्यवस्था की जाये।

(3) कूड़ा उठान हेतु रूट प्लान बनाये जाये तथा निर्धारित समयावधि में घरों से चिन्हित पड़ाव स्थलों (खुला पड़ाव स्थल /बन्द पड़ाव स्थल/ कॉम्पैक्टर) तक एवं उक्त स्थलों से डम्पिंग ग्राउन्ड/निस्तारण संयत्र तक कूड़ा पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) कूड़ा उठान के उपरान्त चिन्हित खुला पड़ाव स्थल/बन्द पड़ाव स्थल/कॉम्पैक्टर की सफाई नियमित रूप से की जाये।

(5) उ.प्र. राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अनुसार ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(ग) <u>पर्यवेक्षणः–</u>

(1) निकाय के 04–05 वार्डों को मिलाकर जोन/कलस्टर्स बनाते हुये उक्त प्रत्येक जोन/कलस्टर में निकायों के अधिकारियों/निरीक्षकों की ड्यूटी लगायी जाये जो नियमित रूप से प्रातः 5:00 बजे से 8:00 बजे तक फील्ड में रहकर साफ–सफाई, डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा उठान, सीवर की सफाई, नाली की सफाई इत्यादि का पर्यवेक्षण करेंगे।

(2) निकायों में की जा रही दैनिक साफ–सफाई का पर्यवेक्षण/निरीक्षण ड्रोन के माध्यम से भी किया जाये।

<u>(घ) शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाः–</u>

- 3 -

(1) संबंधित जल संस्थान व निकाय के अधिकारी पेयजल व्यवस्था से जुड़े नलकूप, हैण्डपम्पस्, पाइपलाइन्स व अन्य उपकरणों का संचालन इस तरह सुनिश्चित करेंगे कि पाइप पेयजल की आपूर्ति निबाध से हो सके।

(2) User's End Point (उपभोक्ता द्वारा उपयोग प्वाईन्ट) पर जल के नमूने एकत्र कर उनका ओ.टी. टेस्ट किया जाये। साथ ही इन नमूनों का वायरोलॉजिकल, बैक्टिरियोलॉजिकल एवं केमिकल एनालिसिस भी किया जाए। यह गतिविधि नगरीय निकाय तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सम्पादित की जायेगी।

(3) नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन तथा पानी की पाईप लाईन की सघन चैकिंग की जाय। यदि कही सीवर अथवा पानी की पाईप लाईन में ब्रेकेज अथवा लीकेज पायी जाती है, तो उसको तत्काल सही किया जाये।

(4) डब्ल्यू.टी.पी. (Water Treatment Plants) पर जीवाणुरोधन हेतु क्लोरिनेशन की अतिरिक्त व्यवस्था की जाय तथा इन प्लान्ट्स से अवमुक्त अपशिष्ट जल को भी प्रवाहित करने से पूर्व हाइपर क्लोरिनेशन के माध्यम से सघन विसंक्रमण किया जाये।

(5) कावड़ यात्रा मार्ग पर जगह–जगह पर शुद्ध पेयजल हेतु वाटर टैंक/प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) मार्ग प्रकाश व्यवस्थाः–

(1) निकाय के संबंधित यांत्रिकी विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्ट्रीट लाइट्स समुचित रूप से कार्य करें, इनकी मरम्मत/अनुरक्षण/खराब पड़े लाइट्स को बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(2) सभी कावड़ यात्रा मार्गों एवं कांवड़ियों के शिविरों पर नियमित विद्युत आपूर्ति के जरिए समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(च) प्रतिबन्धित प्लास्टिक के उत्पादों के विरूद्ध अभियानः–

(1) अधिसूचना संख्या–1056/9–7–18–29(लखनऊ)–18, दिनांक 15.07.2018 द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग तथा प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य (Disposable after One time use) कप, गिलास, प्लेट, इत्यादि उत्पादों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(2) कावड़ यात्रा को जीरो प्लास्टिक इवेंट बनाया जाये। उक्त हेतु यह सुनिश्चित किया जाये कि कावड़ यात्रा के समय प्रतिबन्धित प्लास्टिक/थर्माकोल के उत्पादों का प्रयोग न हो तथा कूड़े कचड़े के लिये डस्टबिन का प्रयोग हो।

(3) जनसामान्य के मध्य प्रतिबन्धित प्लास्टिक उपयोग के विरूद्ध जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को प्लास्टिक कैरीबैग के स्थान पर अन्य विकल्पों यथा जूट बैग, कपड़ों का बैग इत्यादि का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये।

(छ) अतिक्रमण के विरूद्ध अभियानः–

(1) नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर पार्कों, सड़कों, फुटपाथों एवं पार्किंग क्षेत्रों में से अतिक्रमण हटाया जाये।

(ज) अन्यः–

(1) नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंशों को संवेदनशीलता से पकड़कर निकाय द्वारा संचालित गो आश्रय स्थलों में रखा जाये।

(2) जनसामान्य को श्वानों एवं बंदरों की आकमकता से बचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(3) कावड़ यात्रा के समय अधिक तीव्रता की ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग न करने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाये।

(4) कावड़ यात्रा मार्ग के समीप ही आवश्यकतानुसार जनसहयोग के माध्यम से श्रद्धालुजन के रात्रि विश्राम हेतु उचित व्यवस्था की जाये।

(5) IEC के कैंप के माध्यम से साफ–सफाई व्यवस्था, कूड़े का पृथक्करण, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने इत्यादि के विषयगत विशेष रूप से प्रचार–प्रसार अभियान चलाया जाये। इस हेतु एन.सी.सी. कैडे्ट्स /छात्रों /वॉलंटियर/स्वैच्छिक संगठनों/व्यापार मण्डल/उद्योग मण्डल/ जनप्रतिनिधियों इत्यादि का भी सहयोग लिया जाये ताकि कावड़ यात्रा के समय यह अभियान सतत् एवं धारणीय बने। निकायों द्वारा स्थायी एवं अस्थायी पी.ए. सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जनसामान्य को जागरूक किया जाये।

(6) प्रदेश के नगर निगमों में स्थापित I.C.C.C.एवं I.T.M.S.के माध्यम से यातायात का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अपेक्षा के क्रम में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।

2– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(डॉ राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव।